झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान सभा

द्वादश (मानसून) सत्र

वर्ग–04

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न,गुरूवार, दिनांक :– 12 श्रावण, 1945 (शं0) / 03 अगस्त, 2023 (ई0) को

झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेगें :–

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
80.	अ0सू0–01	श्री अनन्त कुमार ओझा	योजना का लाभ।	कृषि,पशु0 एवं सहकारिता	23.07.23
81.	अ0सू0–02	श्री समीर कुमार मोहन्ती	पोषाहार का भुगतान।	महिला बाल वि0 एवं सामा0सुरक्षा	23.07.23
82.	अ0सू0–20	श्री नारायण दास	छात्रवृति दिलाना।	अनु0जाति,अनु0 जनजाति,अल्प0 एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	27.07.23
83.	अ0सू0–11	श्री अमित कुमार मंडल	दोषियों पर कार्रवाई।	महिला बाल वि0 एवं सामा0सुरक्षा	25.07.23
84.	अ0सू0–10	श्री जय प्रकाश भाई पटेल	संस्थाओं के साथ समझौता।	कृषि,पशु0 एवं सहकारिता	25.07.23
85.	अ0सू0–07	श्री मनीष जायसवाल	बकाया राशि का भुगतान।	कृषि,पशु0 एवं सहकारिता	25.07.23
86.	अ0सू0–06	डॉ0 लम्बोदर महतो	सुखाड़ क्षेत्र घोषित करना।	कृषि,पशु0 एवं सहकारिता	25.07.23
87.	अ0सू0–17	श्री अमित कुमार यादव	आयुष्मान कार्ड पुनः प्रारम्भ करना।	खाद्य सार्व0वि0एवं उपभोक्ता मामले	26.07.23
88.	अ0सू0–09	श्री जय प्रकाश भाई पटेल	E-Pos मशीन की मरम्मति।	खाद्य सार्व0वि0एवं उपभोक्ता मामले	25.07.23
89.	अ0सू0–14	श्री प्रदीप यादव	योजना का लाभ पहुँचाना।	कृषि,पशु0 एवं सहकारिता	26.07.23
90.	अ0सू0–03	डॉ0 सरफराज अहमद	बकाया बिजली का भुगतान।	ऊर्जा विभाग	23.07.23

01	02	03	04	05	06
91.	अ0सू0-18	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी	किसानों को ऋण माफी योजना का लाभ।	कृषि,पशु0 एवं सहकारिता	27.07.23
92.	अ0सू0-16	श्री सुदिव्य कुमार	स्वरोजगार से जोड़ना।	अनु0जाति,अनु0 जनजाति,अल्प0 एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	26.07.23
93.	अ0सू0-19	श्री अमित कुमार यादव	बायलॉज में परिवर्तन।	कृषि,पशु0 एवं सहकारिता	27.07.23
94.	अ0सू0-21	श्री अमित कुमार मंडल	पेंशन योजना का भुगतान।	महि0बा0वि0एवं सामाजिक सुरक्षा	28.07.23
95.	अ0सू0-22	श्री सरयू राय	घर-घर बिजली कनेक्शन।	ऊर्जा	28.07.23
96.	अ0सू0-23	श्री सरयू राय	पेयजल की आपूर्ति।	जल संसाधन	28.07.23
97.	अ0सू0-05	श्री लोबिन हेम्ब्रम	वन पट्टा वितरित करना।	अनु0जाति,अनु0 जनजाति,अल्प0 एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	25.07.23
98.	अ0सू0-12	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की	नियमावली बनाना।	कृषि,पशु0 एवं सहकारिता	26.07.23
99.	अ0सू0-13	श्री प्रदीप यादव	जलाशयों का जीर्णोद्धार।	जल संसाधन	26.07.23
00.	अ0सू0-15	श्री सुदिव्य कुमार	शेड एवं चबूतरा का निर्माण।	अनु0जाति,अनु0 जनजाति,अल्प0 एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	26.07.23
01	अ0सू0-04	श्री विनोद कुमार सिंह	दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना।	खाद्य सार्व0वि0 एवं उपभोक्ता मामले	25.07.23
02	अ0सू0-11(क)	डॉ0 सरफराज अहमद	सिंचाई परियोजनाओं को वाणिज्यक घोषित करना।	जल संसाधन	27.07.23
03.	अ0सू0-08	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा	छात्रों के खाते में भुगतान करना।	अनु0जाति,अनु0 जनजाति,अल्प0 एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	25.07.23

नोट :- * 102 अ0सू0-11(क) वित्त विभाग के पत्रांक-135/वि0पे0,दिनांक-25.07.2023 द्वारा जल संसाधन विभाग में स्थानांतरित।

राँची,
दिनांक- 03 अगस्त, 2023 (ई0)।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

कृ0पृ0उ0...../-

ज्ञाप संख्याः- झा0वि0स0(प्रश्न)-05/2020-2051/वि0स0,राँची,दिनांक- 01/08/23

प्रतिलिपि :- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

रवि
01.08.23

(रवि शंकर प्रसाद)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः- झा0वि0स0(प्रश्न)-05/2020-2051/वि0स0,राँची,दिनांक- 01/08/23

प्रतिलिपिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ निजी सहायक,सचिवीय कार्यालय तथा संयुक्त सचिव (प्रश्न) को क्रमशः **माननीय अध्यक्ष महोदय/ प्रभारी सचिव महोदय** एवं संयुक्त सचिव (प्रश्न) के सूचनार्थ प्रेषित।

रवि
01.08.23

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः- झा0वि0स0(प्रश्न)-05/2020-2051/वि0स0,राँची,दिनांक- 01/08/23

प्रतिलिपिः- कार्यवाही शाखा/ बेवसाईट शाखा/ ऑनलाईन शाखा/ आश्वासन शाखा/ J.V.S TV शाखा/ विधायी शोध संदर्भ एवं प्रशिक्षण कोषांग,झारखण्ड विधान सभा,राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

रवि
01.08.23

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

शंकर/-

31/07/23

80

श्री अनन्त कुमार ओझा, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–03.08.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–01 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता– श्री अनन्त कुमार ओझा, मा0स0वि0स0		उत्तरदाता–माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में लगभग नौ लाख किसानों के भूमि सत्यापन का मामला लंबित है, जिस कारण "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि" का लाभ लेने से राज्य के किसान वंचित है;	आंशिक स्वीकारात्मक। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य के कुल 8,49,061 किसानों के भूमि अभिलेख का सत्यापन लंबित है।
2	क्या यह बात सही है कि साहिबगंज जिला अन्तर्गत 35,200 किसानों के भूमि का सत्यापन का भी मामला लंबित है, जिससे वहाँ के कृषकों को "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि" योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। साहिबगंज जिला अन्तर्गत कुल 34,219 किसानों के भूमि अभिलेख का सत्यापन लंबित है।
3	क्या यह बात सही है कि राज्य के प्रज्ञा केन्द्र में त्रुकनीकि कारणों से भूमि का सत्यापन नहीं हो पा रहा है;	अस्वीकारात्मक। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के भूमि अभिलेख का सत्यापन संबंधित अंचल कार्यालय के द्वारा किया जाता है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित योजना का लाभ दिलाने हेतु अविलम्ब नौ लाख किसानो के लम्बित पड़े भूमि का सत्यापन कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यो?	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी लंबित भूमि अभिलेख का सत्यापन करने का निदेश मुख्य सचिव, झारखण्ड एवं विभागीय स्तर से राज्य के सभी उपायुक्तों एवं जिला कृषि पदाधिकारियों को दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–04 / कृ0वि0स0(अ0सू0)–40 / 2023 1948 **/कृ0, राँची, दिनांक**– 01/08/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप सं0–1789 दिनांक–23.07.2023 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.08.23

(राघवेन्द्र झा)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–04 / कृ0वि0स0(अ0सू0)–40 / 2023 1948 **/कृ0, राँची, दिनांक**– 01/08/2023

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, रांची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची / मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, रांची / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची / नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, रांची / उप सचिव, प्रशाखा–09 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.08.23

सरकार के उप सचिव।

(81)

श्री समीर कुमार मोहन्ती, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–03.08.2023 को विधान सभा में पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– 02 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की गर्भवती महिला एवं बच्चों के पोषण में विभाग द्वारा चलाई जा रही पोषाहार योजना का अहम योगदान है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि विगत फरवरी 2023 से अब तक पोषाहार की रकम का भुगतान आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं को नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार पोषाहार का अविलम्ब भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से सेविकाओं द्वारा 03–06 वर्ष के बच्चों को गर्म ताजा पका पोषाहार (HCM) उपलब्ध कराया जा रहा है। इस हेतु व्यय निमित्त राशि आंगनबाड़ी सेविका को उपलब्ध कराई जाती है। समाज कल्याण निदेशालय, झारखण्ड के द्वारा पोषाहार राशि के अद्यतन भुगतान हेतु कुल रुपये 66,96,25,000/– (छियासठ करोड़ छियानवे लाख पच्चीस हजार रुपये) जिलों को उपलब्ध कराया गया है (प्रति संलग्न) एवं भुगतान की कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 04/म0स0/विधान सभा–215/2023 – 2205 राँची, दिनांक : 02·08·2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–1790/वि0स0 दिनांक–23.07.2023 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/08/2023

(राजेश प्रजापति)
सरकार के संयुक्त सचिव।

(83)

श्री अमित कुमार मंडल, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–03.08.2023 को विधान सभा में पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– 11 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सावित्री बाई किशोरी समृद्धि योजना के तहत् साहेबगंज जिले के प्रखण्ड बरहरवा, पतना, बरहेट, राजमहल एवं मंडरो प्रखण्ड में 65 लाख रुपये की गड़बड़ियाँ 829 बैंक खातों के माध्यम से पायी गई है;	आंशिक स्वीकारात्मक। लगभग 600 लाभुकों के बैंक खाता में दो बार भुगतान हो गया था।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित योजना की गड़बड़ियों में लाभुक बच्चों का नाम सही है, लेकिन विभाग के पदाधिकारी ने अपने–अपने बच्चों, अपने रिश्तेदारों के बैंक खाते में लाभुक बन कर अनुदान राशि ट्रांसफर करा लिया है ;	साहेबगंज जिले के बरहेट एवं पतना परियोजनाओं में दो महिला पर्यवेक्षिकाओं के स्वयं/परिजनों के खाता नम्बर को लाभुकों के खाता नम्बर से प्रतिस्थापित कर कतिपय राशि के गबन के कारण प्राथमिकी दर्ज करते हुए उपायुक्त, साहेबगंज के द्वारा निदेशक, समाज कल्याण को उक्त दोनों महिला पर्यवेक्षिकाओं के विरुद्ध प्रपत्र–क गठित कर विभागीय कार्रवाई हेतु अनुशंसा की गई है। तत् आलोक में निदेशक, समाज कल्याण के द्वारा आरोपी महिला पर्यवेक्षिकाओं से स्पष्टीकरण की मांग की गई।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार राज्य के सभी जिलों में चल रहे सावित्री बाई किशोरी समृद्धि योजना की राज्य स्तरीय जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध समुचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के पत्र के द्वारा राज्य के सभी उपायुक्त एवं सभी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को योजनान्तर्गत किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने तथा लाभुकों को अंतिम रुप से लाभ प्राप्त हो सके, को सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न स्तरों पर निर्धारित प्रक्रियाओं में पारदर्शिता के साथ अपने कर्त्तव्यों के निष्पादन हेतु निदेशित किया गया है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 04/म0स0/विधान सभा–217/2023 – 2207 राँची, दिनांक : 02-08-2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–1875/वि0स0 दिनांक–25.07.2023 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02.8.23

(प्रीति सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

(84)

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–03.08.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–10 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता– श्री जय प्रकाश भाई पटेल, मा0स0वि0स0		उत्तरदाता–माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य को बीज उत्पादन में आत्म निर्भर बनाने हेतु बीज ग्राम (कृषकों का समूह) का गठन सरकार द्वारा किया गया है, ताकि मानका स्तर से प्रमाणित बीजों का उपयोग विभिन्न प्रकार की अनुदानित योजनाओं में किया जायेगा;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि बीज उत्पादन कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए कृषि विभाग द्वारा विज्ञापन निकालकर 2011–12 में बीज उत्पादक संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया, जिसके तहत् कृषकों द्वारा 1 लाख क्विंटल तक प्रमाणित धान बीज का उत्पादन कर कृषि विभाग को आपूर्ति की गयी थी;	स्वीकारात्मक। विभिन्न वर्षों में आवश्यकतानुसार बीज उत्पादन संस्थानों से बीज प्राप्त करने हेतु आपूर्ति आदेश निर्गत किया जाता रहा है।
3	क्या यह बात सही है कि राज्य में खरीफ तथा रबी सीजन में 8 से 10 लाख क्विंटल प्रमाणित बीजों का आवश्यकता है, परंतु स्थानीय बीज उत्पादकों को प्रोत्साहित नहीं की जा रही है, फलतः बीज का अवैध कारोबार फल–फूल रहा है एवं बीज कम्पनी मनमाने ढंग से बीज बिक्री कर रही है एवं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को घोर आर्थिक क्षति हो रही है;	अस्वीकारात्मक। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 में बीज प्रतिस्थापन दर के आधार पर खरीफ एवं रबी मौसम में बीज की आवश्यकता कमशः 322523 क्विं एवं 280576 क्विं है। अंकित करना है कि कृषकों द्वारा अपने आवश्यकता अनुरूप सरकारी योजनाओं अन्तर्गत अनुदानित दर पर उपलब्ध बीज के अतिरिक्त निजी कम्पनियों के बीज का कय खुदरा अनुज्ञप्तिधारी बीज विक्रेताओं से भी किया जाता है। इस कम में यह भी उल्लेखनीय है कि बीज व्यवसाय करने हेतु बीज कम्पनियों को कृषि निदेशालय, झारखण्ड एवं खुदरा विक्रेताओं को संबंधित जिले/अनुमंडल के जिला कृषि पदाधिकारी/अनुमंडल कृषि कार्यालय से अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अनिवार्य है। विदित है कि निविदा के माध्यम से चयनित बीज आपूर्तिकर्ताओं के अतिरिक्त बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के नियंत्राधीन कृषि विज्ञान केन्द्रों/Zonal Research Station, झारखण्ड राज्य कृषि विकास निगम लि. के माध्यम से गठित निजी बीज ग्राम, सूचीबद्ध बीज उत्पादक संस्थाओं तथा सरकारी कृषि प्रक्षेत्रों में उत्पादित बीज का आवश्यकता अनुसार कय विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत किया जाता है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने हेतु राज्य के अनुभवी बीज उत्पादक संस्थाओं के साथ समझौता (MOU) करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यो?	उपर्युक्त खण्ड–3 के उत्तर के आलोक में MOU की आवश्यकता नहीं है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–03/कृ0वि0स0(अ0सू0)–39/2023 1973 /कृ0, राँची, दिनांक– 02/08/2023

प्रतिलिपिः– श्री रवि, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप सं0–1877 दिनांक–25.07.2023 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विभाष चन्द्र सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–03/कृ0वि0स0(अ0सू0)–39/2023 1973 /कृ0, राँची, दिनांक– 02/08/2023

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, रांची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, रांची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, रांची/उप सचिव, प्रशाखा–09 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

85

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 03.08.2023 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू० 07 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री मनीष जायसवाल
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

<table>
<tr><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>(1) क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला सहित राज्य के अन्य जिलों में मानसून कमजोर होने के कारण पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी सुखाड़ कि चपेट में आ गई है;</td><td>कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड से संबंधित है। उत्तर प्रतिवेदन कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड से प्राप्त हुआ है जो संलग्न है।</td></tr>
<tr><td>(2) क्या यह बात सही है कि हजारीबाग, देवघर, राँची, गिरिडीह सहित राज्य के अन्य जिलों में कुल 31,853 किसानों ने द्वितीय वर्ष 2022–23 में सरकार को कुल 17.25 लाख क्विंटल धान बेचा है;</td><td>खरीफ विपणन मौसम में कुल 31,852 किसानों से कुल 17,25,004.55 क्विंटल धान अधिप्राप्ति की गई है।</td></tr>
<tr><td>(3) क्या बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के किसानो को बोनस के रूप में 2 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई थी, जिसे वर्तमान में घटा कर सरकार 10 पैसे प्रति क्विंटल कर दी है;</td><td>किसानों को भुगतान किये जाने वाले बोनस की घोषणा केन्द्र सरकार द्वारा नहीं की जाती है।
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा बोनस की घोषणा की जाती है। खरीफ विपणन मौसम 2017–18, 2018–19 एवं वर्तमान खरीफ विपणन वर्ष में धान का न्यूतनम समर्थन मूल्य एवं इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले बोनस की विवरणी निम्नवत् है :–
<table>
<tr><th>क्र०</th><th>खरीफ वर्ष</th><th>केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल</th><th>राज्य सरकार द्वारा घोषित बोनस प्रति क्विंटल</th><th>कुल</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2017–18</td><td>1550</td><td>150</td><td>1700</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2018–19</td><td>1750</td><td>150</td><td>1900</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2022–23</td><td>2040</td><td>10</td><td>2050</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>(4) क्या बात सही है कि खण्ड–02 में वर्णित किसानों में से कुल 27485 किसानों को ही सरकार द्वारा अबतक सिर्फ कुल राशि का पहले किस्त के तौर पर 50% राशि का भुगतान किया गया है तथा छः माह बाद सिर्फ 5 हजार 35 किसानों को ही दूसरे किस्त की आधी राशि व बोनस का भुगतान किया गया, जबकि अब तक उक्त किसानों का सरकार पर लगभग 167 करोड़ रूपये राशि बकाया है;</td><td>खरीफ विपणन मौसम 2022–23 में कुल 31,852 किसानों से कुल 17,25,004.55 क्विंटल धान काक्रय किया गया है।
प्रथम किस्त के रूप में भुगतेय 50% MSP की राशि शतप्रतिशत किसानों को कुल 175.95 करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका है।
द्वितीय किस्त के रूप में भुगतेय 50% MSP तथा बोनस की राशि अबतक 11,346 किसानों को कुल 55.73 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। चार जिलों (गोड्डा, पाकुड़, देवघर एवं जामताड़ा) में शतप्रतिशत राशि (द्वितीय किस्त एवं बोनस) का भुगतान हो चुका है। 20,506 किसानों को लगभग 121.94 करोड़ रूपये का भुगतान लंबित है।</td></tr>
<tr><td>(5) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बकाया राशि का भुगतान राज्य के सभी किसानों को करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?</td><td>राज्य सरकार के अनुरोध के बावजूद भारत सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य में DCP Mode के तहत् धान अधिप्राप्ति करने का आदेश दे दिया गया, जिसके अंतर्गत मिलिंग के पश्चात् चावल भारतीय खाद्य निगम को नहीं देकर झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा भण्डारण करना होता है।</td></tr>
</table>

	किसानों से अधिप्राप्त किये गये धान के भुगतान में विलंब का मुख्य कारण धान का मिल में नहीं जाना एवं झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के अभिरक्षा में उपलब्ध नहीं होना है। वर्तमान में धान, धान अधिप्राप्ति केन्द्रों (लैम्पस/पैक्स) में उपलब्ध है जो कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के अधीन है। झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा धान/सी०एम०आर० के अपने अभिरक्षा में भण्डारण हेतु किराया पर बाजार समिति, SWC, CWC के गोदाम/निविदा के माध्यम से निजी गोदाम लेने हेतु सभी जिलों को निदेश दिया गया है। उक्त कार्रवाई के कारण किसानों के द्वितीय किस्त एवं बोनस के भुगतान में सुधार हुआ है। सी०एम०आर० प्राप्ति उपरांत अधिप्राप्ति केन्द्रों से धान उठाव कर किसानों का भुगतान यथाशीघ्र कर दिया जायेगा।

अनुलग्नकः— कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड
से प्राप्त उत्तर प्रतिवेदन (पत्रांक—1967 दिनांक 01.08.2023)

02/08/23
(संजय कुमार),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :— खा०प्र०—1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23—66/2023 2303 /राँची, दिनांक 02/08/23
प्रतिलिपि — अवर सचिव, झारखण्ड विधान—सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या— 1888, दिनांक 25.7.2023 केक्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/08/23
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :— खा०प्र०—1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23—66/2023 2303 /राँची, दिनांक 02/08/23
प्रतिलिपि — अवर सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग) झारखण्ड को उनके पत्रांक— 1020, दिनांक 28.07.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/08/23
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

पत्रांक-09/कृ0वि0स0(अ0सू0)-01/2023 1967 /कृ0, राँची, दिनांक-01/08/2023

प्रेषक,

मनोज कुमार झा,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

उप सचिव,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

विषयः- **श्री मनीष जायसवाल, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-03.08.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0-अ0सू0-07 की कंडिका-1 का उत्तर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंगः- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग), झारखण्ड, राँची का ज्ञापांक-1020 दिनांक-28.07.2023

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में श्री मनीष जायसवाल, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-03.08.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0-अ0सू0-07 की कंडिका-1 का उत्तर सामग्री निम्नवत है :-

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला सहित राज्य के अन्य जिलों में मॉनसून कमजोर होने के कारण पिछले वर्ष की भाँति इस वर्ष भी सुखाड़ की चपेट में आ गयी है;	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य में दिनांक-28.07.2023 तक सामान्य से 49% कम वर्षा हुई है एवं अब तक फसल आच्छादन 21.78% हुआ है। झारखण्ड में 15 अगस्त तक Sowing Window है। वर्षापात एवं फसल आच्छादन की नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण की जा रही है। जिलों को Crop Diversification के तहत् धान फसल का आच्छादन नहीं हो पाने वाले क्षेत्रों में वैकल्पिक फसल के रूप में मक्का, मडुआ, दलहन, तेलहन की खेती को बढ़ावा देने एवं वैकल्पिक फसल योजना तैयार करने तथा किसानों के बीच इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निदेश दिया गया है।

विश्वासभाजन

1.8.23

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-09/कृ0वि0स0(अ0सू0)-01/2023 1967 /कृ0, राँची, दिनांक-01/08/2023

प्रतिलिपिः- उप सचिव, विधायी शाखा/अवर सचिव, प्रशाखा-07, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग), झारखण्ड, राँची को अनुलग्नक सहित सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.8.23

सरकार के उप सचिव।

(86)

श्री लंबोदर महतो, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–03.08.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–06 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता– श्री लंबोदर महतो, मा0स0वि0स0		उत्तरदाता–माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पूरे झारखण्ड राज्य में अबतक सामान्य से 42% कम बारिस हुई है, जिसके कारण खरीफ फसलों की बुआई एवं रोपाई नहीं हो पाई है, जिसके कारण राज्य के किसानों के समक्ष सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होने की पूरी संभावना है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के किसानों के हित में पूरे राज्य में सुखाड़ क्षेत्र घोषित करना चाहती है तो, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यो?	झारखण्ड राज्य में दिनांक–28.07.2023 तक सामान्य से 49% कम वर्षा हुई है एवं अब तक फसल आच्छादन 21.78% हुआ है। झारखण्ड में 15 अगस्त तक Sowing Window है। वर्षापात एवं फसल आच्छादन की नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण की जा रही है। जिलों को Crop Diversification के तहत् धान फसल का आच्छादन नहीं हो पाने वाले क्षेत्रों में वैकल्पिक फसल के रूप में मक्का, मडुआ, दलहन, तेलहन की खेती को बढ़ावा देने एवं वैकल्पिक फसल योजना तैयार करने तथा किसानों के बीच इसका व्यापक प्रचार–प्रसार करने का निदेश दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–03 / कृ0वि0स0(अ0सू0)–38 / 2023 1969 /कृ0, राँची, दिनांक– 01/08/2023

प्रतिलिपिः– श्री रवि, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप सं0–1889 दिनांक–25.07.2023 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विभाष चन्द्र सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–03 / कृ0वि0स0(अ0सू0)–38 / 2023 1969 /कृ0, राँची, दिनांक– 01/08/2023

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, रांची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची / मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, रांची / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची / नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, रांची / उप सचिव, प्रशाखा–09 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

87

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 03.08.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–17 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री अमित कुमार यादव
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि पूरे राज्य में पीला, हरा एवं लाल राशन कार्ड बनाने का कार्य बंद है;	आंशिक स्वीकारात्मक। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत लाभुकों (गुलाबी कार्ड एवं पीला कार्ड) की संख्या भारत सरकार द्वारा अधिकतम 2,64,25,385 निर्धारित है। इसके विरूद्ध झारखण्ड में 2,64,25,385 लाभुकों को आच्छादित किया जा चुका है। निर्धारित संख्या से अधिक लाभुकों का आच्छादन संभव नहीं है। लाभुकों के अपवर्जन मानक में आने, मृत्यु होने एवं अन्य कारणों से रिक्ति होने की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2022–23 में 1,79,785 राशन कार्ड बनाये गये हैं एवं 5,22,595 लाभुकों को आच्छादित किया गया है। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित वैसे लाभुक जो आच्छादित होने की अर्हता रखते हैं उसके लिए राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (हरा राशनकार्ड) संचालित है, जिसके तहत कुल 20 लाख लाभुकों को आच्छादित करने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में 1,76,835 राशनकार्ड एवं 5,62,123 लाभुकों को आच्छादित किया गया है। वर्तमान में 5,84,235 रिक्तियाँ उपलब्ध है, जिसके विरूद्ध योग्य लाभुकों का राशनकार्ड बनाने का कार्य जारी है।
(2) क्या यह बात सही है कि पुराने कार्ड में नाम संशोधन अथवा नया नाम जोड़ने तथा कार्ड अपग्रेडेशन का भी कार्य बंद है, जिससे आम गरीब जनता को अनाज मिलने एवं विशेष रूप से आयुष्मान कार्ड बनाने में घोर कठिनाई हो रही है;	वित्तीय वर्ष 2022–23 में 54,075 लाभुकों का नाम संशोधित किया गया है एवं 52,676 लाभुकों का नाम जोड़ा गया है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में सभी प्रकार के कार्ड तथा नाम दर्ज कराने का कार्य पुनः प्रारंभ करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	कंडिका–1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

ह0/–
(संजय कुमार),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–64/2023 2304 /राँची, दिनांक 02/08/23

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या– 1950, दिनांक 26.7.2023 केक्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/08/23

सरकार के अवर सचिव।

(88)

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 03.08.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–09 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री जय प्रकाश भाई पटेल
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता
मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के माध्यम से आवश्यक वस्तु की आपूर्ति ऑन–लाईन के द्वारा e-PoS (Electronic Point of Sale) मशीन के द्वारा किया जाता है;	सभी जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के माध्यम से आवश्यक वस्तु की आपूर्ति ऑन–लाईन e-PoS (Electronic Point of Sale) मशीन के द्वारा ही किया जाना है।
(2) क्या यह बात सही है कि e-PoS मशीन के रख–रखाव एवं मरम्मति हेतु दुकानदारों को किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग सरकार द्वारा देय नही है;	राज्य में जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को e-PoS मशीन के रख–रखाव एवं मरम्मति हेतु किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग सरकार द्वारा देय नहीं है।
(3) क्या यह बात सही है कि e-PoS मशीन में गड़बडी होने पर संबंधित मशीन के आपूर्तिकर्ता द्वारा मरम्मति आदि के लिए कम्पनी द्वारा मनमाने ढंग से राशि (रूपये) की मांग की जाती है;	e-PoS मशीन का सर्विस सपोर्ट एवं रख–रखाव के लिए e-PoS सेवा प्रदाता कम्पनी मेसर्स इंटिग्रा माईक्रोसिस्टम प्रा० लि० एवं मेसर्स लिंकवेल टेलीसिस्टम प्रा० लि० की सेवा ली जा रही है। जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के द्वारा उपयोग किये जाने वाले e-PoS मशीन में गड़बड़ी होने या किसी भी प्रकार की समस्या आने पर समस्या के निदान/ सुधार/मरम्मति इत्यादि के लिए सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाना है परन्तु e-PoS मशीन के साथ छेड़–छाड़ अथवा भौतिक क्षति किये जाने पर उन क्षतिग्रस्त मशीनों की मरम्मति के क्रम में अवयव का बदलाव/मरम्मति इत्यादि के लिए निर्धारित राशि ली जाती है।
(4) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार e-PoS (Electronic Point of Sale) मशीन के रख–रखाव में होने वाली व्यय राशि की क्षतिपूर्ति संबंधित जन वितरण प्रणाली के संचालकों को उपलब्ध कराने अथवा संबंधित कंपनी को निःशुल्क मरम्मति कराने हेतु आवश्यक निर्देश देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–3 में वस्तुस्थिति अंकित की गई है।

ह0/–
(लालो प्रसाद कुशवाहा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–61/2023 2308 /राँची, दिनांक 02/08/23

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या– 1880, दिनांक 25.7.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/08/2023

सरकार के अवर सचिव।

E:\Vikash PC\Vikash Kumar-2023-24\S Krishna Uday\Bidhan Sabha\Monsoon Session 2023-24\bidhan sabha Question & Answer 03.08.2023.docx

(89)

श्री प्रदीप यादव, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–03.08.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–14 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता– श्री प्रदीप यादव, मा0स0वि0स0		उत्तरदाता–माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार राज्य के किसानों के हित में कम्पनियों के हित की योजना "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" को स्थगित कर "मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना" (MSRY) लागू की है;	आंशिक स्वीकारात्मक। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर राज्य में खरीफ एवं रबी फसल मौसम 2022–23 से झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना (JRFRY) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। खरीफ मौसम 2022–23 में राज्य सरकार द्वारा राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखण्डों को सुखाड़ग्रस्त घोषित किया गया जहाँ "मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना" (MSRY) का क्रियान्वयन किया गया, इसलिए शेष 38 प्रखण्डों में ही सिर्फ झारखण्ड फसल राहत योजना (JRFRY) का क्रियान्वयन किया गया। झारखण्ड फसल राहत योजना (JRFRY) योजना अंतर्गत केवल प्राकृतिक आपदा से होने वाले फसल क्षति के मामले में किसानों को सुनिश्चित वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। योजना का लाभ लेने हेतु किसानों को योजना के वेब पोर्टल **https://jrfry.jharkhand.gov.in** पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करना है एवं प्रत्येक वर्ष प्रत्येक फसल मौसम (खरीफ एवं रबी) में अलग–अलग ऑनलाईन आवेदन किया जाना है। योजना अंतर्गत पंजीकरण एवं आवेदन करने के लिए किसानों द्वारा कोई प्रीमियम नहीं दिया जाना है।
2	क्या यह बात सही है कि MSRY के तहत राज्य के लक्षित 30 लाख किसानों में से अब तक मात्र 12 लाख किसानों को ही लाभ दे पायी है;	आंशिक स्वीकारात्मक। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) की अधिसूचना सं0–1291 दिनांक–31.10.2022 के अंतर्गत वर्ग–'क' यथा–सुखाड़ से प्रभावित वैसे कृषक जो जीविकोपार्जन हेतु मुख्यतः कृषि पर निर्भर है तथा जिनके द्वारा वर्ष 2022 की खरीफ में बुआई नहीं की गयी हो परन्तु पारंपरिक रूप से पूर्व से ऐसे कृषक बुआई का कार्य करते रहे हों; के आवेदक किसानों की भूमि सत्यापन वर्ग–'ख' यथा– सुखाड़ से प्रभावित कृषक जो जीविकोपार्जन हेतु मुख्यतः कृषि पर निर्भर है तथा जिनकी फसल 33% से अधिक क्षति हुई हो एवं वर्ग–'ग' यथा– भूमिहीन कृषक मजदूर जिनकी कृषि आधारित आजीविका का साधन सुखाड़ से प्रभावित हुआ हो के आवेदक किसानों के भौतिक सत्यापन के पश्चात् ही लाभ दिये जाने का प्रावधान है। इस कारण अबतक उक्त श्रेणी के किसानों (करीब 13.50 लाख) जिनका सत्यापन के पश्चात् आवेदन योग्य पाया गया है, उनको लगभग 477.00 करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका है तथा शेष किसानों के आवेदन का सत्यापन की कार्रवाई जारी है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार त्वरित कार्रवाई करते हुए राज्य के सभी किसानों को उक्त योजना का लाभ पहुँचाना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यो?	उपर्युक्त कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–03/कृ0वि0स0(अ0सू0)–41/2023 1970 /कृ0, राँची, **दिनांक**– 01/08/2023

प्रतिलिपिः– श्री रवि, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप सं0–1951 दिनांक–26.07.2023 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.8.23

(विभाष चन्द्र सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–03/कृ0वि0स0(अ0सू0)–38/2023 1970 /कृ0, राँची, **दिनांक**– 01/08/2023

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, रांची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, रांची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, रांची/उप सचिव, प्रशाखा–09 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.8.23

सरकार के अवर सचिव।

(90)

डॉ० सरफराज अहमद, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 03.08.2022 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–03 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता डॉ० सरफराज अहमद, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि पूरे राज्य में डी०वी०सी० से क्रय किए गये बिजली के बकाऐ राशि का भुगतान झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा L.P.S Rule,2022 में निहित प्रावधानों के अनुसार किस्तों में किया जाता है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि माह दिसम्बर,2022 तक सरकारी कार्यालयों एवं आवासों पर करीब 630 करोड़ रूपये का बिजली बिल बकाया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। माह दिसम्बर 2022 तक सरकारी कार्यालयों एवं आवासों पर करीब 418 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया था।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य के सभी कार्यालयों एवं आवासों पर वर्षों से बकाए बिजली बिल का भुगतान कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	सरकार के स्तर से माह मार्च 2022 तक का बकाया कुल 429 करोड़ रुपये का भुगतान माह मार्च 2023 में किया जा चुका है। राज्य के सभी कार्यालयों एवं आवासों के विरुद्ध बकाया राशि का भुगतान संबंधित विभाग के माध्यम से किये जाने संबंधी दिशा–निर्देश मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के स्तर से निर्गत किया जा चुका है। संबंधित विभागों द्वारा मार्च 2022 के पश्चात बकाया का भुगतान समय–समय पर किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक.....1519...../ दिनांक ...01/08/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/08/23

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

(91)

श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–03.08.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–18 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता– श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, मा0स0वि0स0		उत्तरदाता–माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि कृषि ऋण माफ़ी योजना के तहत किसानों का ऋण माफी योजना का लाभ देने का प्रावधान है;	स्वीकारात्मक। दिनांक–31.03.2020 तक Standard Loanee किसानों को 50000/– रू. तक कृषि ऋण माफी योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
2	क्या यह बात सही है कि सरकार के N.P.A अकाउंट हुए किसानों को कृषि ऋण माफी योजना का लाभ देने का प्रावधान है;	अस्वीकारात्मक। N.P.A खाता धारक किसानों को झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना का लाभ दिये जाने के संदर्भ में विभागीय स्तर पर समीक्षा/निर्णय विचाराधीन है।
	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार किसानों को ऋण माफी योजना का लाभ देने पर विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यो?	उपर्युक्त खण्ड–1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–03/कृ0वि0स0(अ0सू0)–44/2023 1947 /कृ0, राँची, दिनांक– 01/08/2023

प्रतिलिपिः– श्री रवि, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप सं0–1984 दिनांक–27.07.2023 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विभाष चन्द्र सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–03/कृ0वि0स0(अ0सू0)–44/2023 1947 /कृ0, राँची, दिनांक– 01/08/2023

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, रांची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, रांची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, रांची/उप सचिव, प्रशाखा–09 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

93

श्री अमित कुमार यादव, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–03.08.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–19 का उत्तर प्रतिवेदनः–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री अमित कुमार यादव, मा0स0वि0स0, झारखण्ड	श्री बादल पत्रलेख, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राँची स्थित सर्विसेज हाउसिंग कॉपरेटिव सो0लि0 अशोक नगर की स्थापना 1960 ई0 में की गई थी, उक्त सोसाइटी का मेंबर राज्य के पदा0/कर्मचारी भारत सरकार के वैसे पदा0 जो झारखण्ड में कार्यरत है को बनाया जाता है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि सोसईटी के बायलॉज में विभिन्न चरणों में संशोधन कर विभिन्न कोटी के सरकारी विभागों के लोगों को शामिल किया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि अशोकनगर हाउसिंग कॉपरेटिव सोसइटी लि0 राँची में झारखण्ड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश/राज्य विधि पदाधिकारी, झारखण्ड विधान सभा के पदा0/कर्म0, राज्य के निर्वाचित सांसद, राज्य सभा के सांसद, झारखण्ड विधान सभा के विधायक को मेंबर नहीं बनाया जाता है ;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महाधिवक्ता, विधायक, सांसद एवं विधान सभा के पदा0/कर्म0 जिन्हें राज्य सरकार द्वारा वेतन प्राप्त करते हैं बायलॉज में परिवर्तन कराते हुए मूल सदस्य यदि कोई विक्रय करना चाहते है को मेंबर बनाकर जमीन/मकान का हस्तांतरण कराना चाहती है, हाँ, तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	नियमानुसार बायलॉज में परिवर्तन करने हेतु वांछित प्रस्ताव संबंधित सोसायटी के निदेशक मंडल/निदेशक पर्षद एवं आम सभा द्वारा पारित होना चाहिए। तत्पश्चात् उक्त परिवर्तन हेतु पारित प्रस्ताव पर निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची के स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर बायलॉज में संशोधन सुनिश्चित किया जाता है। वर्तमान में इस संबंध में निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची के स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं है।

कृ0पृ0उ0

1058
02.08.2023

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक–04/विधानसभा (अल्पसूचित)–43/2023 सह0 1058 **/राँची, दिनांक–** 02·08·2023

प्रतिलिपिः–सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0–1983 वि0स0 दिनांक–27.07.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं 200 चक्रलिखित प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दयानन्द प्रसाद)
02/08/2023
सरकार के अवर सचिव।

(94)

श्री अमित कुमार मंडल, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–03.08.2023 को विधान सभा में पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– अ०सू०–21 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में विगत् माह–अप्रैल, मई एवं जून, 2023 से मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना, स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, HIV/AIDS पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना एवं मुख्यमंत्री राज्य निरश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना सहित सभी सामाजिक सुरक्षा योजना का भुगतान लाभुकों को नहीं मिल पा रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) के आलोक में सरकार के पास लाभुकों को खाते में रुपया देने के लिए कोष में राशि नहीं है ;	अस्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार गोड्डा जिला समेत राज्य के अन्य जिलों के गरीब, असहाय, लाचार लाभुकों को पिछला बकाया एकमुश्त भुगतान करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में गोड्डा जिला सहित राज्य के सभी जिलों द्वारा माह जून, 2023 तक पेंशन राशि का भुगतान लाभुकों को कर दिया गया है। सिर्फ पूर्वी सिंहभूम जिला में इंदिरा गाँधी विधवा पेंशन योजना एवं इंदिरा गाँधी दिव्यांग पेंशन योजना तथा जामताड़ा जिला में इंदिरा गाँधी दिव्यांग पेंशन योजना के लाभुकों का पेंशन भुगतान PFMS में तकनीकी त्रुटियों के कारण विलंबित हुआ। तकनीकी त्रुटि का निराकरण कर लिया गया है तथा भुगतान प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 04 / म0स0 / विधान सभा–223 / 2023 – 2199 राँची, दिनांक : 02.08.2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–2006 / वि0स0 दिनांक–28.07.2023 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02.8.23

(प्रीति सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

(95)

श्री सरयू राय, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 03.08.2023 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–22 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री सरयू राय, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि जमशेदपुर में बिजली वितरण हेतु टाटा स्टील लि० की कंपनियों को लाईसेंस दिया गया है;	स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा टाटा स्टील लि० को विद्युत वितरण का लाईसेंस दिया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि केबुल इंडस्ट्रीज जमशेदपुर के आवासीय क्षेत्रों में लाईसेंसधारी कंपनी 6 संस्थाओं द्वारा बिजली वितरण कर रही है, जबकि क्षेत्र के उपभोक्ता अपने घरों में बिजली का अलग–अलग कनेक्शन चाहते है;	यह उपभोक्ता एवं लाईसेंसी से संबंधित है।
3. क्या यह बात सही है कि केबुल इंडस्ट्री क्षेत्र में टाटा स्टील की इकाई टीएसयू, आईएसएल ने पेयजल की आपूर्ति के लिए घर–घर कनेक्शन दिया है, परन्तु घर–घर बिजली कनेक्शन नहीं दे रही है और इसके लिए केबुल इंडस्ट्री के आरपी से स्वीकृति नहीं मिलने का कारण बता रही है;	यह उपभोक्ता एवं लाईसेंसी से संबंधित है।
4. क्या यह बात सही है कि केबुल इंडस्ट्री के भूखंड की लीज अवधि 1999 में ही समाप्त हो गई है। इसलिए घर–घर बिजली कनेकशन देने के लिए आरपी की सहमति आवश्यक नहीं है;	यह उपभोक्ता एवं लाईसेंसी से संबंधित है।
5. यदि उपयुक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लाईसेंसधारी कंपनी को घर–घर बिजली देने हेतु निर्देश देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यो ?	टाटा स्टील से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार :– 1) INCAB प्लांट में औद्योगिक गतिविधि बंद हो जाने के पश्चात INCAB टॉउनशिप के निवासियों के आग्रह पर निर्मित 09 संस्थाओं को 09 विभिन्न Connection Point पर विद्युत कनेक्शन दिया गया था। 2) INCAB के कर्मियों के घरों में उनके अनुरोध पर आर०पी० (Resolution Professional) की सहमति से या INCAB के प्रबंधन प्रतिनिधि की सहमति से पानी कनेक्शन दिया गया है (CIRP(Corporate Insolvency Resolution Process) की प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व)। विद्युत कनेक्शन हेतु आर०पी० (Resolution Professional) की स्वीकृति माँगी गई थी, किन्तु सहमति प्राप्त नहीं होने के कारण घर–घर विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जा सका है। वस्तुस्थिति यह है कि उपरोक्त कंडिका–01 में वर्णित 09 विभिन्न Connection Point से प्रत्येक घर में विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

	3) INCAB लीज 2019 में समाप्त हो गई है। किन्तु INCAB द्वारा लीज टाटा स्टील को प्रत्यर्पित नहीं की गई है। विद्युत कनेक्शन हेतु आर०पी० की सहमति उचित प्रतीत होती है क्योंकि INCAB के Assets का प्रबंधन और Control आर०पी० के पास है। राज्य सरकार प्रासंगिक मामले में झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग को नियमानुसार मार्गदर्शन/ कार्रवाई हेतु अनुरोध करेगी।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1552 / दिनांक 02/08/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को, अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/08/23

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

(46)

श्री सरयू राय , माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 03.08.2023 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या –अ०सू०–23 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय जलनीति के अनुसार किसी जल स्त्रोत अथवा जलाशय के पानी के उपयोग के लिए पेयजल पहली प्राथमिकता है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि जमशेदपुर एवं समीपवर्ती क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति सुवर्णरेखा नदी से होती है, जिसके ऊपर बने चांडिल डैम के कारण बरसात के बाद नदी का जल प्रवाह कम हो जाता है ;	बरसात के बाद चांडिल जलाशय से नदी में आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त पानी छोड़ा जाता है ताकि नदी का प्रवाह बरकरार रहे। जलाशय में पानी की उपलब्धता कम होने पर भी नदी के प्रवाह को बरकरार रखने की कोशिश की जाती है।
३	क्या यह बात सही है कि स्वर्णरेखा एवं खरकई नदियों का संरक्षण नहीं होने के कारण ये प्रदूषित हो गई हैं और इनसे बदबूदार, कीड़ायुक्त गंदा पानी की आपूर्ति पेयजल के रूप में होने की शिकायत जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों से मिल रही है ;	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, राँची के पत्रांक–3915, दिनांक–01.08.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है :– अस्वीकारात्मक। वर्त्तमान में मानगो एवं जुगसलाई पेयजलापूर्ति योजना के माध्यम से स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के जल को जलशोध संयंत्र से जलशोधन कर IS 10500 के मानक अनुरूप शुद्ध पेयजलापूर्ति की जा रही है। जल की जाँच National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में की जाती है। (Test Report संलग्न)।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जमशेदपुर में पेयजल के लिए सतनाला डैम एवं डिमना लेक के माध्यम से चांडिल डैम का पानी देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक नहीं, तो क्यों?	सतनाला डैम से पेयजल हेतु 0.263 cumec जलश्राव का उपबंध ह। डिमना लेक को चांडिल डैम से Augment करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–10–अ०सू०–16/2023 – ..... /राँची, दिनांक .....

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 2008 वि०स० दिनांक 28.07.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/राँची/हजारीबाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/8/23

(98)

श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–03.08.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–12 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता– श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, मा0स0वि0स0		**उत्तरदाता**–माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र.	**प्रश्न**	**उत्तर**
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में झारखण्ड कृषि ऊपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2022 विधानसभा से पारित होकर राज्यपाल की सहमति के बाद कानून बन गया है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बाता सही है कि खण्ड–1 में वर्णित कानून के आलोक में नियमावली अबतक नहीं बन पायी है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड कृषि ऊपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2022 कानून के संदर्भ में प्रश्नगत नियमावली बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यो?	झारखण्ड कृषि ऊपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2022 को नियमावली बनाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–07/कृ0वि0प0(अ0सू0)–06/2023 1946 /**कृ0, राँची, दिनांक**– 01/08/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप सं0–1952 दिनांक–26.07.2023 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.8.23

(विभाष चन्द्र सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–07/कृ0वि0प0(अ0सू0)–06/2023 1946 /**कृ0, राँची, दिनांक**– 01/08/2023

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, रांची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, रांची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, रांची/उप सचिव, प्रशाखा–09 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.8.23

सरकार के अवर सचिव।

(99)

श्री प्रदीप यादव , माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 03.08.2023 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या –अ०सू०–13 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि भारत सरकार द्वारा की गई जल स्त्रोतों की गणना के मुताबिक झारखण्ड के कुल 1.07 लाख जल स्त्रोतों (प्राकृतिक एवं मानव निर्मित) में से मानव निर्मित 13 हजार जलाशय इस्तेमाल के लायक नहीं है साथ ही 560 जलाशय पूर्णतः अतिक्रमित हो चुके हैं;	स्वीकारात्मक।
2	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अतिक्रमण मुक्त करते हुए, जलाशयों के जीर्णोद्धार एवं नये जल स्त्रोतों के निर्माण की एक ठोस पहल एवं नई नई कार्य योजना लाना चाहती है, हाँ तो कबतक, नही तो क्यों?	जल संसाधन विभाग के वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजना के अन्तर्गत्त 56 जलाशय योजना कार्यन्वित है जो अतिक्रमण मुक्त एवं क्रियाशील है। लघु सिंचाई द्वारा अतिक्रमण मुक्त जल निकायों का ही जीर्णोद्धार कराया जाता है। लघु सिंचाई विभाग से सम्बन्धित जल निकायों का विभाग द्वारा जीर्णोद्धार चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है एवं आगे भी किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–10–अ०सू०–13/2023 – 4303 /राँची, दिनांक 02/08/23

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 1958 वि०स० दिनांक 26.07.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/ मुख्य अभियंता, राँची/हजारीबाग/देवघर/मेदिनीनगर/चांडिल/ईचा गालूडीह कम्पलेक्स, आदित्यपुर/ मुख्य अभियंता लघु सिंचाई, राँची/दुमका/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/8/23
सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

100

श्री सुदिव्य कुमार, मा0 स० वि० स० द्वारा दिनांक– 03.08.2023 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–15 का उत्तर–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
01.	क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा पूरे राज्य में प्रस्तावित स्थलों पर कब्रिस्तान की घेराबंदी, जाहेरस्थान की घेराबंदी, धुमकुड़िया भवन आदि का निर्माण कराया जाता है,	स्वीकारात्मक।
02.	क्या यह बात सही है कि राज्य के गांवो में नदी किनारे एवं अन्य श्मशान घाटों पर शव जलाया जाता है, जहॉ किसी भी तरह की सुविधा का निर्माण नहीं हो पाया है, जिससे उक्त समय में लोगो को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है,	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
03	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सभी गॉवों में शव जलाने वाले स्थान/श्मशान घाट पर शेड एवं चबूतरा निर्माण कराने का विचार रखती है, हॉ तो कबतक, नही तो क्यो?	पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति बहुल गॉवों में धार्मिक स्थल, श्मशान तथा मसना की धेराबंदी एवं सौंदर्यीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 से नई योजना प्रारंभ की गई है एवं बजट प्रावधान किया गया है। इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–08/वि०स०प्र०–श्मशान–07/2023-1796 राँची, दिनांक– 02/08/2023

प्रतिलिपि–1. 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–1956 दिनांक–26.07.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

02/08/2023

(प्रिसिल्ला मुर्मू)
सरकार के उप सचिव।

(101)

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 03.08.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–04 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री विनोद कुमार सिंह
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के 5 जिलों गिरिडीह, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, हजारीबाग, लोहरदगा में फर्जी तरीके से 7773 आदिम जनजाति श्रेणी में कार्ड बनाकर मुफ्त अनाज उठाया गया था, जिसमें गिरिडीह 2577 मामले है;	राज्य के 05 जिलों यथा–गिरिडीह में 2577, पूर्वी सिंहभूम में 1199, गुमला में 1938, हजारीबाग में 1014 तथा लोहरदगा में 1045 इस प्रकार कुल 7773 राशनकार्डों को PVTG श्रेणी में परिवर्तन किये जाने का मामला संज्ञान में आया है।
(2) क्या यह बात सही है कि विभाग ने अपने प्रारंभिक जाँच में इसकी पुष्टि की है, लेकिन जिला के जिम्मेदार पदाधिकारियों पर अबतक कोई कार्रवाई नहीं हुई है;	इस मामले की जाँच संबंधित जिला प्रशासन से करायी गई है तथा दोषी कम्प्यूटर ऑपरेटर को कार्य से हटा दिया गया है। प्रस्तुत मामले की उच्च स्तरीय जाँच हेतु विभागीय पत्रांक–1031, दिनांक 22.03.2023 द्वारा महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड से अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत मामले में उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक–1911, दिनांक 30.05.2023 द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह के विरूद्ध आरोप पत्र प्राप्त हुआ है, जिसकी समीक्षा के पश्चात् कार्रवाई हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	कंडिका–2 में वस्तुस्थिति अंकित है।

ह0/–
(लालो प्रसाद कुशवाहा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–63/2023 2310 /राँची, दिनांक 02/08/23

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या– 1879, दिनांक 25.7.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/08/2023

सरकार के अवर सचिव।

102

डॉ सरफराज अहमद, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–11 (क) का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि 13वें और 14वें वित्त आयोग ने सिंचाई परियोजनाओं की वाणिज्यिक व्यवहारिकता का मूल्यांकन करने हेतु इनपर लागत वसूली दर निर्धारित किया था, जबकि किसी भी सिंचाई योजना को राज्य सरकार द्वारा वाणिज्यिक घोषित नहीं किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है, कि वर्ष 2018–19 में 23 परियोजनाओं का कार्यचालन व्यय एवं रखरखाव में 1480.90 करोड़ रूपये खर्च किया गया है;	वित्तीय वर्ष 2018–19 में वृहद मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं में कुल व्यय रू० 1482.505 करोड़ हुआ है। मध्यम सिंचाई योजनाओं के रख–रखाव पर कुल व्यय रू० 21.466 करोड़ तथा लघु सिंचाई योजनाओं के रख–रखाव पर रू० 145.78 करोड़ राशि का व्यय हुआ है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार लागत वसूली हेतु सिंचाई परियोजनाओं को वाणिज्यिक घोषित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	(i) राज्यान्तर्गत सिंचाई योजनाए मुख्यतः सिंचाई एवं पेयजल को ध्यान में रख कर निर्मित की गयी है एवं कल्याणकारी योजनाए है। इन्हें वाणिज्यिक घोषित किया जाना अभी विचाराधीन नहीं है। (ii) विभिन्न योजनाओं एवं नदियों से वाणिज्यिक संस्थानों को किये गये जलापूर्त्ति के शुल्क के रूप में विभाग द्वारा निर्धारित दर पर राजस्व प्राप्त किया जाता है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–10–अ०सू०–15/2023– 4289 /राँची, दिनांक 01/08/23

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 1974 वि०स० दिनांक 27.07.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.8.23

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।